संख्या–802ए/9-7-14 एन.आर.वाई./90

प्रेषक,

डा. आर.सी. श्रीवास्तव,
विशेष सचिव एवं निदेशक,
अर्बन बेसिक सर्विसेज,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

1. समस्त जिला मैजिस्ट्रेट,
   उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मण्डलायुक्त,
   उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक : 16 मई, 1991

नगर विकास अनुभाग–7

विषय : नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत नगरीय लघु उद्यम योजना "सूमे" के संबंध में।

महोदय,

भारत सरकार द्वारा नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले बेरोजगार व आंशिक रूप से रोजगार प्राप्त आर्थिक रूप से निर्बल व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से चलायी गयी नगरीय लघु उद्यम योजना के बारे में कई जनपदों ने यह अवगत कराया है कि भारतीय रिजर्व बैंक दिनांक 15-5-90 के परिपत्र के परिप्रेक्ष्य में 10 हजार से कम आबादी वाले स्थानीय निकायों बैंकों से ऋण वितरण में कठिनाई आ रही है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस बारे में यह निदेश जारी कर दिये गये हैं कि 10,000 से कम आबादी वाले स्थानीय निकायों में भी उक्त योजना चलाई जाएगी, यदि सेन्टर/स्थानीय निकाय एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत आवृत्त नहीं है। उद्देश्य यह है कि सभी क्षेत्र आई.आर.डी.पी./नगरीय लघु उद्यम योजना से आच्छादित हो जाय।

3. भारतीय रिजर्व बैंक के तत्संबंधी परिपत्र के उद्धरण संलग्न करते हुए अनुरोध है कि जनपद के बैंकों ने अधिकारियों/स्थानीय निकायों के अध्यक्षों/अधिशासी अधिकारियों/सचिवों की जानकारी में ला दें ताकि योजना के कार्यान्वयन में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो।

संलग्नक– यथोपरि।

सं. 802ए (1) 9-7-14 एन.आर.वाई./90 तद्दिनांक–

प्रतिलिपि निदेशक, संस्थागत वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन 16-भीमराव अम्बेदकर मार्ग, लखनऊ को सूचनार्थ।

आज्ञा से,

आर.सी. श्रीवास्तव
विशेष सचिव